

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अवालत

श्री. अशोक कृष्ण, घोड़वाडी

श्री. ता. बाम

बनाम श्री. राजेश कुमार परमार

कसम मुकदमा

(४४)

नं.

04

सन 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजेश कुमार परमार - पत्रावली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/9/18	<p>पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर विचार करके पत्रावली को खारिज कर दिया गया। दिनांक 16/7/18 को पेश हुई।</p> <p><i>(Signature)</i> सहायक सल्लुटूर एवं उप सल्लुटूर अधिकारी, घोड़वाडी</p>	
16/7/18	<p>पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर विचार करके पत्रावली को खारिज कर दिया गया। दिनांक 11/9/18 को पेश हुआ। धाबा है।</p>	
11/9/18	<p>पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर विचार करके पत्रावली को खारिज कर दिया गया। दिनांक 27-11-18 को पेश हुआ। धाबा है।</p>	
29-11-18	<p>पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर विचार करके पत्रावली को खारिज कर दिया गया। दिनांक 5.2.19 को पेश हुआ। धाबा है।</p>	
5.2.19	<p>पत्रावली पेश हुई। वादीगण व अधीनकारियों द्वारा दाखिल किया गया कौड़ी समग्र के बारे में आवेदन को खारिज कर दिया गया। दिनांक 5.2.19 को पेश हुआ। धाबा है।</p> <p>अध. वादी वादीगण कसम दाखिल हुए। कसम पेश की गई थी। दिनांक 5.2.19 को पेश हुआ। धाबा है।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर विचार करके पत्रावली को खारिज कर दिया गया। दिनांक 5.2.19 को पेश हुआ। धाबा है।</p>	

